संख्या-12 /2021/277/26-3-2021-100(114)/99टी0सी0

प्रेषक

राकेश कुमार सचान,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

1- निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

2- राज्य मद्य निषेध अधिकारी,
उ0प्र0 जवाहर भवन।
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 जनवरी, 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 की योजना ड्रग की मांग घटाने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0)हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1471-72/स0क0/वि0प्रा0पा0/2020-21 दिनांक-06.01.2020 एवं राज्य मद्य निषेध अधिकारी के पत्र संख्या-120पी0पी0/26-67/20, दिनांक-07.01.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0)(के0 100 प्रतिशत/रा-00-के)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-418.500 लाख (रू0 चार करोड अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)- कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020,दिनांक-24.03.2020,शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020,दिनांक-18.05.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2020/बी-1-564/दस-2020-231/ 2020, दिनांक-29.09.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशां, का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरान्त सही पाने पर ही किया जायेगा।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी तथा धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आपका होगा।

(9)- स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में नही किया जाता है और यदि धनराशि समर्पित की जाती है तो इसके लिये राज्य मद्य निषेध अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(10)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा यह सुनिष्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराषि संक्रमित की जा रही है,उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराषि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराषि की मांग नही की जायेगी।

(11)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चत करेंगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-105-01-0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के0 100 प्रतिशत/रा-00-के) के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

<u>पृ0संख्या-12 /2021/277 (1)/26-3-2021 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- राज्य मद्य निषेध अधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2020–21

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	20718.260	418.500	418.500	418.500	20299.760
	20718.260	418.500	418.500	418.500	20299.760

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–105–नशाबन्दी–01–केन्द्र प्रयोजित योजनाएं–0101 ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के0 100प्रतिशत/रा–00–के) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.000	418.500	418.500	418.500	418.500
	0.000	418.500	418.500	418.500	418.500

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है– योजना/ अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।
(3)प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–278/दस–2020 दिनांक 20 जनवरी 2021

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

राजेन्द्र राम
अनुसचिव
वित्त विभाग।
हा0

so bm 9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या– 12 /2021/277(1)/26–3–2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– राज्य मद्य निषेध अधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

so bm 9

page 300

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।